राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में पूर्व कुलपति के कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2018-199 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर नगरीय उपकर की छूट प्रदान की गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-200 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-49 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-201 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-43 के खण्ड (2) के उपखण्ड (बी) तथा खण्ड (3) के उपखण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट भागीदारी दस्तावेज जिसमें पिता, माता एवं पुत्र भागीदार हो, पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

जारी..2..

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-202 दिनांक 07 मार्च, 2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ; एवं
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-203 दिनांक 07 मार्च, 2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 12(46)वित्त/ कर/2017-पार्ट-IV-161 दिनांक 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

1- श्री सुरेन्द्र गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी :-

1- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2017-2018 (दिनांक 12.1.2018 की स्थिति में) ; एवं

2- गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2016-2017

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री दर्शन सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र करौली की ग्राम पंचायत गुडला स्थित सब सेन्टर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री घनश्याम, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के टोड़ाभीम उपखण्ड मुख्यालय हाईवे रोड़ पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम खड़काली में कस्वों की ढाणियों से गलनी तक पक्की सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. विधायी कार्य

(क) पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-12)	"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-10)	"भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-9)	"बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..4..

(III) श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-11)	"राजस्थान राज्य में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-7)	"राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-8)	"राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 08 मार्च, 2018

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

अनुपूरक कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016) मय स्पष्टीकरण ज्ञापन तथा 31वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रेल, 2016 से 31 मार्च, 2017) मय स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं जस्टिस माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समेकित जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

2. विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-13)

"राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिये इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 09 मार्च, 2018

नोट- ये आईटम आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को आईटम संख्या - 3(ख) के (2) एवं 5(क) के साथ लिया जायेगा ।